

की सूची दी गयी है जहाँ यह नीति प्रभावी होगी। यह परियोजनाएँ हैं :— लखनऊ मेट्रो, कानपुर मेट्रो, दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ, आर०आर०टी०एस, मेरठ और आगरा मेट्रो हैं।

(5) उक्त परियोजनाओं हेतु टी०ओ०डी० जोन के जोनल डेवलपमेंट प्लान तैयार करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है जिसके अन्तर्गत विभिन्न यरण प्रमुख रूप से निम्नवत है:— कन्सलटेन्ट द्वारा ड्राफ्ट जोनल डेवलपमेंट प्लान तैयार करना, ड्राफ्ट जोनल डेवलपमेंट प्लान पर विकास प्राधिकरण बोर्ड द्वारा अनुमोदन तरपश्चात् आपत्ति/सुझाव आमन्त्रण एवम इस हेतु गठित समिति द्वारा निस्तारण, आपत्ति/सुझाव के निस्तारणोंपरान्त यथासम्भव संशोधित ड्राफ्ट जोनल डेवलपमेंट प्लान तैयार करना एवम उस पर विकास प्राधिकरण बोर्ड द्वारा अनुमोदन बोर्ड के अनुमोदनोपरान्त शासकीय समिति के समक्ष प्रस्तुतिकरण, प्रस्तुतिकरण में दिए गये सुझावों को समावेशित कर विकास प्राधिकरण द्वारा शासन के अनुमोदन हेतु प्रेषित किया जाना शासन के अनुमोदनोपरान्त समाचार पत्रों में प्रकाशन के उपरान्त जोनल डेवलपमेंट प्लान प्रभावी होगा। जोनल डेवलपमेंट प्लान प्रभावी होने के उपरान्त ही टी०ओ०डी० नीति 2022 के प्राविधानों के अनुसार विकास प्राधिकरणों द्वारा विकास/निर्माण अनुज्ञा दी जा सकेगी।

11-- मुख्य नगर एवम ग्राम नियोजक द्वारा स्पष्ट किया गया है कि जोनल डेवलपमेंट प्लान के प्रभावी होने में अभी समय लगने की सम्भावना है। चूँकि टी०ओ०डी० नीति 2015 अतिक्रमिit हो चुकी है और टी०ओ०डी० नीति 2022 का क्रियान्वयन उपरोक्तानुसार सल्लिखित प्रक्रियागत कारणों से अभी सम्भव नहीं प्रतीत होता है। ऐसी स्थिति में टी०ओ०डी० जोन्स के जोनल डेवलपमेंट प्लान्स लागू होने तक नीति के क्रियान्वयन में कठिनाई रहेगी, जिस पर विचार करने की आवश्यकता प्रतीत होती है। यह भी उल्लेख किया गया है कि कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा तीन प्रकरण लम्बित होने की आख्या दी गयी है। कदाचित अन्य विकास प्राधिकरणों में भी ऐसे प्रकरण लम्बित हो सकते हैं। इस परिप्रेक्ष्य में मुख्य नगर एवम ग्राम नियोजक द्वारा निम्नलिखित दो विकल्पों में से किसी एक विकल्प पर विचार किए जाने का सुझाव दिया गया है:—

2) विकास प्राधिकरणों द्वारा इस नीति के अधीन चिन्हांकित किए गये टी0ओ0डी0 जोन्स के अन्तर्गत टी0ओ0डी0 नीति 2022 के प्राविधानों के अनुसार निर्माण/विकास अनुज्ञा इस शर्त/प्रतिबन्ध के अधीन प्रदान की जाय कि इन्हें जोनल डेवलपमेन्ट प्लान्स में यथावत समायोजित किया जाएगा।

12- अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या 2120/आठ-3-22-193 विविध/14 दिनांक 24.08.2022 द्वारा निर्गत उत्तर प्रदेश ट्रान्जिट ओरिएन्टेड डेवलपमेन्ट नीति, 2022 के प्रस्ताव- 3.6 में नीति के क्रियान्वयन के लिए रूपरेखा शीर्षक के अन्तर्गत बिन्दु संख्या- 3.6.1 (एक) में निम्नवत प्राविधान है।

“3.6.1 आवास, एवम शहरी विभाग के माध्यम से राज्य सरकार इस नीति के क्रियान्वयन में सहायता करेगी और उसके निम्नलिखित दायित्व होंगे:-

(एक) ट्रान्जिट ओरिएन्टेड डेवलपमेन्ट पालिसी का नियमन, अद्यतनीकरण और संशोधन करना”

13- यह भी अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश ट्रान्जिट ओरिएन्टेड डेवलपमेन्ट नीति, 2022 माननीय मंत्रिपरिषद् के अनुमोदन से निर्गत की गयी है। माननीय मंत्रिपरिषद् से निम्न बिन्दु पर भी अनुमोदन प्राप्त किया गया है:-

“ उत्तर प्रदेश ट्रान्जिट ओरिएन्टेड डेवलपमेन्ट नीति, 2022 के क्रियान्वयन में उत्पन्न होने वाली कठिनाइयों के निराकरण, नीति में संशोधन, संवर्धन के सम्बन्ध में निर्णय लिए जाने/मार्ग दर्शन प्रदान किए जाने हेतु माननीय मुख्यमंत्री जी को अधिकृत किए जाने का प्रस्ताव है।”

14- उपरोक्त व्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में मुख्य नगर एवम ग्राम नियोजक द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या में जो दो विकल्प उपलब्ध कराए गये हैं उसमें से प्रथम विकल्प यह है कि शासनादेश के वर्तमान प्राविधानों के अनुसार टी0ओ0डी0 जोन्स का डेवलपमेंट प्लान तैयार एवम प्रभावी होने के उपरान्त विकास प्राधिकरणों द्वारा विकास/निर्माण अनुज्ञा दी जाये।

नीति के कियान्वयन में आ रही कठिनाइयों के निराकरण हेतु द्वितीय विकल्प के रूप में यह सुझाव दिया गया है कि विकास प्राधिकरणों द्वारा इस नीति के अधीन चिन्हंकित किए गये टी0ओ0डी0 जोन्स के अन्तर्गत टी0ओ0डी0नीति, 2022 के प्राविधानों के अनुसार निर्माण/विकास अनुज्ञा इस शर्त/प्रतिबन्ध के अधीन प्रदान की जाए कि इन्हें जोनल डेवलपमेंट प्लान्स में यथावत समायोजित किया जाएगा।

मुख्य नगर एवम ग्राम नियोजक द्वारा उपलब्ध कराये गये द्वितीय विकल्प अनुसार कार्यवाही किए जाने हेतु शासनादेश दिनांक 24.08.2022 के प्रस्तर - 3.2.2 में उल्लिखित प्राविधान को उक्त सीमा तक सीथिल किया जाना होगा।

15- अतः उपरोक्त स्थिति से अपर मुख्य सचिव महोदय के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराते हुए प्रस्तर-14 में उल्लिखित दोनों विकल्प में से किसी एक विकल्प के अनुसार कार्यवाही किए जाने पर अनुमोदन प्राप्त किया जाना प्रस्तावित है।

कृपया सहमति की दशा में पत्रावली अपर मुख्य सचिव महोदय के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष प्रस्तुत करना चाहें।



2) विकास प्राधिकरणों द्वारा इस नीति के अधीन चिन्हांकित किए गये टी0ओ0डी0 जोन्स के अन्तर्गत टी0ओ0डी0 नीति 2022 के प्राविधानों के अनुसार निर्माण/विकास अनुज्ञा इस शर्त/प्रतिबन्ध के अधीन प्रदान की जाय कि इन्हें जोनल डेवलपमेन्ट प्लान्स में यथावत समायोजित किया जाएगा।

12- अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या 2120/आठ-3-22-193 विविध/14 दिनांक 24.08.2022 द्वारा निर्गत उत्तर प्रदेश ट्रान्जिट ओरिएन्टेड डेवलपमेन्ट नीति, 2022 के प्रस्तर- 3.6 में नीति के कियान्वयन के लिए रूपरेखा शीर्षक के अन्तर्गत बिन्दु संख्या- 3.6.1 (एक) में निम्नवत प्राविधान है।

“3.6.1 आवास एवम शहरी विभाग के माध्यम से राज्य सरकार इस नीति के कियान्वयन में सहायता करेगी और उसके निम्नलिखित दायित्व होंगे:-

(एक) ट्रान्जिट ओरिएन्टेड डेवलपमेन्ट पालिसी का नियमन, अद्यतनीकरण और संशोधन करना”

13- यह भी अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश ट्रान्जिट ओरिएन्टेड डेवलपमेन्ट नीति, 2022 माननीय मंत्रिपरिषद् के अनुमोदन से निर्गत की गयी है। माननीय मंत्रिपरिषद् से निम्न बिन्दु पर भी अनुमोदन प्राप्त किया गया है:-

“ उत्तर प्रदेश ट्रान्जिट ओरिएन्टेड डेवलपमेन्ट नीति, 2022 के कियान्वयन में उत्पन्न होने वाली कठिनाइयों के निराकरण, नीति में संशोधन, संबर्धन के सम्बन्ध में निर्णय लिए जाने/मार्ग दर्शन प्रदान किए जाने हेतु माननीय मुख्यमंत्री जी को अधिकृत किए जाने का प्रस्ताव है।”

14- उपरोक्त व्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में मुख्य नगर एवम ग्राम नियोजक द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या में जो दो विकल्प उपलब्ध कराए गये हैं उसमें से प्रथम विकल्प यह है कि शासनादेश के वर्तमान प्राविधानों के अनुसार टी0ओ0डी0 जोन्स का डेवलपमेंट प्लान तैयार एवम प्रमावी होने के उपरान्त विकास प्राधिकरणों द्वारा विकास/निर्माण अनुज्ञा दी जाये।

नीति के कियान्वयन में आ रही कठिनाइयों के निराकरण हेतु द्वितीय विकल्प के रूप में यह सुझाव दिया गया है कि विकास प्राधिकरणों द्वारा इस नीति के अधीन चिन्हांकित किए गये टी0ओ0डी0 जोन्स के अन्तर्गत टी0ओ0डी0नीति, 2022 के प्राविधानों के अनुसार निर्माण/विकास अनुज्ञा इस शर्त/प्रतिबन्ध के अधीन प्रदान की जाए कि इन्हें जोनल डेवलपमेंट प्लान्स में यथावत समायोजित किया जाएगा।

मुख्य नगर एवम ग्राम नियोजक द्वारा उपलब्ध कराये गये द्वितीय विकल्प अनुसार कार्यवाही किए जाने हेतु शासनादेश दिनांक 24.08.2022 के प्रस्तर - 3.2.2 में उल्लिखित प्राविधान को उक्त सीमा तक सीथिल किया जाना होगा।

15- अतः उपरोक्त स्थिति से अपर मुख्य सचिव महोदय के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराते हुए प्रस्तर-14 में उल्लिखित दोनों विकल्प में से किसी एक विकल्प के अनुसार कार्यवाही किए जाने पर अनुमोदन प्राप्त किया जाना प्रस्तावित है।

कृपया सहमति की दशा में पत्रावली अपर मुख्य सचिव महोदय के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष प्रस्तुत करना चाहें।

का सूया दा गया ह जहा यह नात प्रभावा हा। यह पारयाजनाए ह - लखनऊ  
मैट्रो, कानपुर मैट्रो, दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ, आर०आर०टी०एस, मेरठ और आगरा  
मैट्रो हैं।

(5) उक्त परियोजनाओ हेतु टी०ओ०डी जोन के जोनल डेवलपमेन्ट प्लान तैयार करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है जिसके अन्तर्गत विभिन्न यरण प्रमुख रूप से निम्नवत है:- कन्सलटेन्ट द्वारा ड्राफ्ट जोनल डेवलपमेन्ट प्लान तैयार करना; ड्राफ्ट जोनल डेवलपमेन्ट प्लान पर विकास प्राधिकरण बोर्ड द्वारा अनुमोदन तत्पश्चात आपत्ति/सुझाव आमन्त्रण एवम इस हेतु गठित समिति द्वारा निस्तारण, आपत्ति/सुझाव के निस्तारणोंपरान्त यथासम्भव संशोधित ड्राफ्ट जोनल डेवलपमेन्ट प्लान तैयार करना एवम उस पर विकास प्राधिकरण बोर्ड द्वारा अनुमोदन बोर्ड के अनुमोदनोंपरान्त शासकीय समिति के समक्ष प्रस्तुतिकरण में दिए गये सुझावों को समावेशित कर विकास प्राधिकरणों द्वारा शासन के अनुमोदन हेतु प्रेषित किया जाना शासन के अनुमोदनोंपरान्त समाचार पत्रों में प्रकाशन के उपरान्त जोनल डेवलपमेन्ट प्लान प्रभावी होगा। जोनल डेवलपमेन्ट प्लान प्रभावी होने के उपरान्त ही टी०ओ०डी० नीति, 2022 के प्राविधानों के अनुसार विकास प्राधिकरणों द्वारा विकास/निर्माण अनुज्ञा दी जा सकेगी।

11- मुख्य नगर एवम ग्राम नियोजक द्वारा स्पष्ट किया गया है कि जोनल डेवलपमेन्ट प्लान के प्रभावी होने में अभी समय लगने की सम्भावना है। चूंकि टी०ओ०डी० नीति, 2015 अतिक्रमि हो चुकी है और टी०ओ०डी० नीति 2022 का क्रियान्वयन उपरोक्तानुसार उल्लिखित प्रक्रियागत कारणों से अभी सम्भव नहीं प्रतीत होता है। ऐसी स्थिति में टी०ओ०डी० जोन्स के जोनल डेवलपमेन्ट प्लान्स लागू होने तक नीति के क्रियान्वयन में कठिनाई रहेगी, जिस पर विचार करने की आवश्यकता प्रतीत होती है। यह भी उल्लेख किया गया है कि कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा तीन प्रकरण लम्बित होने की आख्या दी गयी है। कदाचित अन्य विकास प्राधिकरणों में भी ऐसे प्रकरण लम्बित हो सकते हैं। इस परिप्रेक्ष्य में मुख्य नगर एवम ग्राम नियोजक द्वारा निम्नलिखित दो विकल्पों में से किसी एक विकल्प पर विचार किए जाने का सुझाव दिया गया है:-

2) विकास प्राधिकरणों द्वारा इस नीति के अधीन चिन्हांकित किए गये टी0ओ0डी0 जोन्स के अन्तर्गत टी0ओ0डी0 नीति, 2022 के प्राविधानों के अनुसार निर्माण/विकास अनुज्ञा इस शर्त/प्रतिबन्ध के अधीन प्रदान की जाय कि इन्हें जोनल डेवलपमेन्ट प्लान्स में यथावत समायोजित किया जाएगा।

12- अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या 2120/आठ-3-22-193 विविध/14 दिनांक 24.08.2022 द्वारा निर्गत उत्तर प्रदेश ट्रान्जिट ओरिएन्टेड डेवलपमेन्ट नीति, 2022 के प्रस्तर-3.6 में नीति के कियान्वयन के लिए रूपरेखा शीर्षक के अन्तर्गत बिन्दु संख्या- 3.6.1 (एक) में निम्नवत प्राविधान है।

“3.6.1 आवास एवम शहरी विभाग के माध्यम से राज्य सरकार इस नीति के कियान्वयन में सहायता करेगी और उसके निम्नलिखित दायित्व होंगे:-

(एक) ट्रान्जिट ओरिएन्टेड डेवलपमेन्ट पालिसी का नियमन, अद्यतनीकरण और संशोधन करना”

13- यह भी अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश ट्रान्जिट ओरिएन्टेड डेवलपमेन्ट नीति, 2022 माननीय मंत्रिपरिषद के अनुमोदन से निर्गत की गयी है। माननीय मंत्रिपरिषद से निम्न बिन्दु पर भी अनुमोदन प्राप्त किया गया है:-

“ उत्तर प्रदेश ट्रान्जिट ओरिएन्टेड डेवलपमेन्ट नीति, 2022 के कियान्वयन में उत्पन्न होने वाली कठिनाइयों के निराकरण, नीति में संशोधन, संबर्धन के सम्बन्ध में निर्णय लिए जाने/मार्ग दर्शन प्रदान किए जाने हेतु माननीय मुख्यमंत्री जी को अधिकृत किए जाने का प्रस्ताव है।”




14- उपरोक्त व्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में मुख्य नगर एवम ग्राम नियोजक द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या में जो दो विकल्प उपलब्ध कराए गये हैं उसमें से प्रथम विकल्प यह है कि शासनादेश के वर्तमान प्राविधानों के अनुसार टी0ओ0डी0 जोन्स का डेवलपमेन्ट प्लान तैयार एवम प्रभावी होने के उपरान्त विकास प्राधिकरणों द्वारा विकास/निर्माण अनुज्ञा दी जाये।

नीति के कियान्वयन में आ रही कठिनाइयों के निराकरण हेतु द्वितीय विकल्प के रूप में यह सुझाव दिया गया है कि विकास प्राधिकरणों द्वारा इस नीति के अधीन चिन्हांकित किए गये टी0ओ0डी0 जोन्स के अन्तर्गत टी0ओ0डी0नीति, 2022 के प्राविधानों के अनुसार निर्माण/विकास अनुज्ञा इस शर्त/प्रतिबन्ध के अधीन प्रदान की जाए कि इन्हें जोनल डेवलपमेन्ट प्लान्स में यथावत समायोजित किया जाएगा।


मुख्य नगर एवम ग्राम नियोजक द्वारा उपलब्ध कराये गये द्वितीय विकल्प अनुसार कार्यवाही किए जाने हेतु शासनादेश दिनांक 24.08.2022 के प्रस्तर - 3.2.2 में उल्लिखित प्राविधान को उक्त सीमा तक सीथिल किया जाना होगा।

15- अतः उपरोक्त स्थिति से अपर मुख्य सचिव महोदय के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराते हुए प्रस्तर-14 में उल्लिखित दोनों विकल्प में से किसी एक विकल्प के अनुसार कार्यवाही किए जाने पर अनुमोदन प्राप्त किया जाना प्रस्तावित है।


कृपया सहमति की दशा में पत्रावली अपर मुख्य सचिव महोदय के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष प्रस्तुत करना चाहें।








































Kanpur

Dear Sir,

I have a pleasure to bring to your kind notice that the undersigned had an MoU with the Government of Uttar Pradesh for our Group Housing Project for Rs. 500 crores called Paloma Realty LLP.

In this connection, it is to inform you that the Drawing/Map for our Group Housing Project is still pending for approval at the higher authorities level of the state Government since long. Due to this reason, our project is getting late to start, and Occurring the financial loss.

It is, therefore, once again requested your goodself to kindly intervene in the above matter and arrange to get the Drawing/Map approved as required.

Looking forward to receive your kind cooperation in this regard.

Thanking you.

Yours faithfully.

*Mahesh Chandra Jain*

(Mahesh Chandra Jain)



नगर नियोजन (भाग)

[illegible][illegible]

१. आर्य समाज के संस्थापक श्री सदाशिव जी महाराज की स्मृति में

5-6-72

10

206

10/1/19

कानपुर विकास प्राधिकरण  
अनुभाग-प्रवर्तन जोन-1,  
कानपुर नगर


महोदय,

विदित हो कि मूखण्ड संख्या 11, 11ए, 12 एवम 13 खलासी लाईन  
आवास संख्या 7/98, 7/99 तिलक नगर, कानपुर में जो कन्स्ट्रक्शन हुआ है  
वह अस्थायी (Temporary) एवम सपोर्ट मात्र के लिए है। निर्माण कार्य के उपरान्त  
स्वतः इसे डिमालिश कर दिया जाएगा। हमारा मानचित्र कानपुर विकास  
प्राधिकरण के यहाँ विगत एक-डेढ़ सालों से लग्नित है एवम एप्रूव होने के  
चरण पर है।

हम आपको पूर्ण विश्वास दिलाते हैं कि उक्त मानचित्र एप्रूव होते ही  
दाखिल कर दिया जाएगा। आपके सहयोग की अपेक्षा में।


सादर निवेदित,

प्रार्थी

  
(महेश चन्द्र जैन)  
पार्टनर

फलोभा रियल्टी एलएलपी,

60/52, नयागंज, कानपुर-208001.



\* Indicates a required field.

\* Consignment Number

EU996271316IN

Track History

Booked At

Booked On

Destination  
Pincode

Tariff

Article Type

Delivery  
LocationDelivery Confirmed  
OnKanpur RMS POS  
Counter15/03/2023  
20:36:51

228001

41.30

Inland Speed  
Post

Lucknow GPO

15/03/2023 14:02:13

Event Details For : EU996271316IN

Current Status : Item Dispatched

Date	Time	Office	Event
16/03/2023	06:27:09	MA Kanpur RMS	Item Dispatched ✓
16/03/2023	05:06:05	MA Kanpur RMS	Item Received
16/03/2023	03:43:26	Kanpur NSH	Item Dispatched
16/03/2023	03:05:20	Kanpur NSH	Item Bagged
16/03/2023	02:18:46	Kanpur NSH	Item Received
15/03/2023	20:35:51	Kanpur RMS POS Counter	Item Booked
15/03/2023	14:02:13	Kathkusuma BO	Item Delivery Confirmed
15/03/2023	09:28:12	Nakha SO	Dispatched to BO
15/03/2023	09:18:31	Nakha SO	Item Received
15/03/2023	05:28:20	MA Kheri RMS	Item Dispatched
15/03/2023	05:06:30	MA Kheri RMS	Item Received
15/03/2023	04:44:39	Kheri ICH	Item Dispatched
15/03/2023	04:15:14	Kheri ICH	Item Bagged
15/03/2023	01:38:36	Kheri ICH	Item Received







1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions and activities. It emphasizes the need for transparency and accountability in all financial dealings.

2. The second part of the document outlines the specific procedures and protocols that must be followed when conducting financial transactions. This includes the use of standardized forms and the requirement for proper authorization and documentation.

3. The third part of the document provides a detailed overview of the financial reporting system. It describes the frequency and content of reports, as well as the roles and responsibilities of the personnel involved in the reporting process.

4. The fourth part of the document discusses the importance of regular audits and reviews. It explains how these activities can help identify potential issues and ensure that the financial system is operating effectively and efficiently.

5. The fifth part of the document provides a summary of the key findings and recommendations from the audit. It highlights the areas where improvements are needed and provides specific suggestions for addressing these issues.

6. The sixth part of the document contains a list of references and sources used in the preparation of the report. This includes books, articles, and other documents that provide additional information on the topics discussed in the report.

7. The seventh part of the document is a conclusion that summarizes the overall findings of the audit and provides a final assessment of the financial system's performance.

8. The eighth part of the document is a list of appendices that provide additional information and data related to the audit. This includes detailed financial statements, supporting documents, and other relevant information.

9. The ninth part of the document is a list of abbreviations and acronyms used throughout the report. This helps to ensure that the report is easy to read and understand for all stakeholders.

10. The tenth part of the document is a list of footnotes that provide additional information and clarification on specific points raised in the report.

THE  
JOURNAL OF THE  
ROYAL ANTHROPOLOGICAL INSTITUTE  
OF GREAT BRITAIN AND IRELAND  
VOLUME LXXII PART II  
1902

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

[illegible][illegible]

16  
 17  
 18  
 19  
 20  
 21  
 22  
 23  
 24  
 25  
 26  
 27  
 28  
 29  
 30  
 31  
 32  
 33  
 34  
 35  
 36  
 37  
 38  
 39  
 40  
 41  
 42  
 43  
 44  
 45  
 46  
 47  
 48  
 49  
 50  
 51  
 52  
 53  
 54  
 55  
 56  
 57  
 58  
 59  
 60  
 61  
 62  
 63  
 64  
 65  
 66  
 67  
 68  
 69  
 70  
 71  
 72  
 73  
 74  
 75  
 76  
 77  
 78  
 79  
 80  
 81  
 82  
 83  
 84  
 85  
 86  
 87  
 88  
 89  
 90  
 91  
 92  
 93  
 94  
 95  
 96  
 97  
 98  
 99  
 100  
 101  
 102  
 103  
 104  
 105  
 106  
 107  
 108  
 109  
 110  
 111  
 112  
 113  
 114  
 115  
 116  
 117  
 118  
 119  
 120  
 121  
 122  
 123  
 124  
 125  
 126  
 127  
 128  
 129  
 130  
 131  
 132  
 133  
 134  
 135  
 136  
 137  
 138  
 139  
 140  
 141  
 142  
 143  
 144  
 145  
 146  
 147  
 148  
 149  
 150  
 151  
 152  
 153  
 154  
 155  
 156  
 157  
 158  
 159  
 160  
 161  
 162  
 163  
 164  
 165  
 166  
 167  
 168  
 169  
 170  
 171  
 172  
 173  
 174  
 175  
 176  
 177  
 178  
 179  
 180  
 181  
 182  
 183  
 184  
 185  
 186  
 187  
 188  
 189  
 190  
 191  
 192  
 193  
 194  
 195  
 196  
 197  
 198  
 199  
 200  
 201  
 202  
 203  
 204  
 205  
 206  
 207  
 208  
 209  
 210  
 211  
 212  
 213  
 214  
 215  
 216  
 217  
 218  
 219  
 220  
 221  
 222  
 223  
 224  
 225  
 226  
 227  
 228  
 229  
 230  
 231  
 232  
 233  
 234  
 235  
 236  
 237  
 238  
 239  
 240  
 241  
 242  
 243  
 244  
 245  
 246  
 247  
 248  
 249  
 250  
 251  
 252  
 253  
 254  
 255  
 256  
 257  
 258  
 259  
 260  
 261  
 262  
 263  
 264  
 265  
 266  
 267  
 268  
 269  
 270  
 271  
 272  
 273  
 274  
 275  
 276  
 277  
 278  
 279  
 280  
 281  
 282  
 283  
 284  
 285  
 286  
 287  
 288  
 289  
 290  
 291  
 292  
 293  
 294  
 295  
 296  
 297  
 298  
 299  
 300  
 301  
 302  
 303  
 304  
 305  
 306  
 307  
 308  
 309  
 310  
 311  
 312  
 313  
 314  
 315  
 316  
 317  
 318  
 319  
 320  
 321  
 322  
 323  
 324  
 325  
 326  
 327  
 328  
 329  
 330  
 331  
 332  
 333  
 334  
 335  
 336  
 337  
 338  
 339  
 340  
 341  
 342  
 343  
 344  
 345  
 346  
 347  
 348  
 349  
 350  
 351  
 352  
 353  
 354  
 355  
 356  
 357  
 358  
 359  
 360  
 361  
 362  
 363  
 364  
 365  
 366  
 367  
 368  
 369  
 370  
 371  
 372  
 373  
 374  
 375  
 376  
 377  
 378  
 379  
 380  
 381  
 382  
 383  
 384  
 385  
 386  
 387  
 388  
 389  
 390  
 391  
 392  
 393  
 394  
 395  
 396  
 397  
 398  
 399  
 400  
 401  
 402  
 403  
 404  
 405  
 406  
 407  
 408  
 409  
 410  
 411  
 412  
 413  
 414  
 415  
 416  
 417  
 418  
 419  
 420  
 421  
 422  
 423  
 424  
 425  
 426  
 427  
 428  
 429  
 430  
 431  
 432  
 433  
 434  
 435  
 436  
 437  
 438  
 439  
 440  
 441  
 442  
 443  
 444  
 445  
 446  
 447  
 448  
 449  
 450  
 451  
 452  
 453  
 454  
 455  
 456  
 457  
 458  
 459  
 460  
 461  
 462  
 463  
 464  
 465  
 466  
 467  
 468  
 469  
 470  
 471  
 472  
 473  
 474  
 475  
 476  
 477  
 478  
 479  
 480  
 481  
 482  
 483  
 484  
 485  
 486  
 487  
 488  
 489  
 490  
 491  
 492  
 493  
 494  
 495  
 496  
 497  
 498  
 499  
 500  
 501  
 502  
 503  
 504  
 505  
 506  
 507  
 508  
 509  
 510  
 511  
 512  
 513  
 514  
 515  
 516  
 517  
 518  
 519  
 520  
 521  
 522  
 523  
 524  
 525  
 526  
 527  
 528  
 529  
 530  
 531  
 532  
 533  
 534  
 535  
 536  
 537

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

(3) THE  
 (4) THE  
 (5) THE  
 (6) THE  
 (7) THE  
 (8) THE  
 (9) THE  
 (10) THE  
 (11) THE  
 (12) THE  
 (13) THE  
 (14) THE  
 (15) THE  
 (16) THE  
 (17) THE  
 (18) THE  
 (19) THE  
 (20) THE  
 (21) THE  
 (22) THE  
 (23) THE  
 (24) THE  
 (25) THE  
 (26) THE  
 (27) THE  
 (28) THE  
 (29) THE  
 (30) THE  
 (31) THE  
 (32) THE  
 (33) THE  
 (34) THE  
 (35) THE  
 (36) THE  
 (37) THE  
 (38) THE  
 (39) THE  
 (40) THE  
 (41) THE  
 (42) THE  
 (43) THE  
 (44) THE  
 (45) THE  
 (46) THE  
 (47) THE  
 (48) THE  
 (49) THE  
 (50) THE  
 (51) THE  
 (52) THE  
 (53) THE  
 (54) THE  
 (55) THE  
 (56) THE  
 (57) THE  
 (58) THE  
 (59) THE  
 (60) THE  
 (61) THE  
 (62) THE  
 (63) THE  
 (64) THE  
 (65) THE  
 (66) THE  
 (67) THE  
 (68) THE  
 (69) THE  
 (70) THE  
 (71) THE  
 (72) THE  
 (73) THE  
 (74) THE  
 (75) THE  
 (76) THE  
 (77) THE  
 (78) THE  
 (79) THE  
 (80) THE  
 (81) THE  
 (82) THE  
 (83) THE  
 (84) THE  
 (85) THE  
 (86) THE  
 (87) THE  
 (88) THE  
 (89) THE  
 (90) THE  
 (91) THE  
 (92) THE  
 (93) THE  
 (94) THE  
 (95) THE  
 (96) THE  
 (97) THE  
 (98) THE  
 (99) THE  
 (100) THE

100-100000-100000

100-100000-100000

100-100000-100000

100-100000-100000

100-100000-100000

100-100000-100000

100-100000-100000

100-100000-100000

100-100000-100000

100-100000-100000

100-100000-100000

100-100000-100000

100-100000-100000

100-100000-100000

100-100000-100000

100-100000-100000

100-100000-100000

100-100000-100000

100-100000-100000

100-100000-100000

100-100000-100000

100-100000-100000

100-100000-100000



\* Indicates a required field.

\* Consignment Number

EU996271302IN

Quick help

Track Master

Booked At	Booked On	Destination Pincode	Tariff	Article Type	Delivery Location	Delivery Confirmed On
Kanpur RMS POS Counter	15/03/2023 20:35:51	226001	41.30	Inland Speed Post	Lucknow GPO	17/03/2023 18:05:09
Event Details For : EU996271302IN						
Current Status : Item Delivery Confirmed						
Date	Time	Office	Event			
17/03/2023	18:05:09	Haridwar SO	Item Delivery Confirmed			
17/03/2023	17:47:43	Lucknow GPO	Item Delivery Confirmed			
17/03/2023	10:28:17	Haridwar SO	Out for Delivery			
17/03/2023	09:39:44	Lucknow GPO	Out for Delivery			
17/03/2023	09:08:12	Haridwar SO	Item Received			
17/03/2023	07:41:17	Lucknow GPO	Item Received			
16/03/2023	15:04:42	Haridwar ICH	Item Dispatched			
15/03/2023	09:30:08	MA Haridwar	Item Received			
16/03/2023	08:50:26	MA Haridwar	Item Received			
16/03/2023	05:27:09	MA Kanpur RMS	Item Dispatched			
16/03/2023	05:33:16	Dehradun NSH	Item Dispatched			
16/03/2023	05:06:05	MA Kanpur RMS	Item Received			
16/03/2023	03:49:26	Kanpur NSH	Item Dispatched			
16/03/2023	02:48:49	Kanpur NSH	Item Bagged			
16/03/2023	02:18:46	Kanpur NSH	Item Received			
16/03/2023	02:17:10	Dehradun NSH	Item Bagged			
15/03/2023	20:35:51	Kanpur RMS POS				

\* Indicates a required field.

\* Consignment Number

EU996271320IN

Track More

Booked At	Booked On	Destination Pincode	Tariff	Article Type	Delivery Location	Delivery Confirmed On
Kanpur RMS PQS Counter	15/03/2023 20:35:51	226001	41.30	Inland Speed Post	Lucknow GPO	17/03/2023 17:33:38

### Event Details For : EU996271320IN

#### Current Status : Item Delivery Confirmed

Date	Time	Office	Event
17/03/2023	17:33:38	Lucknow GPO	Item Delivery Confirmed
17/03/2023	10:44:46	Lucknow GPO	Out for Delivery
17/03/2023	07:41:17	Lucknow GPO	Item Received
16/03/2023	06:27:09	MA Kanpur RMS	Item Dispatched
16/03/2023	05:06:06	MA Kanpur RMS	Item Received
16/03/2023	03:49:26	Kanpur NSH	Item Dispatched
16/03/2023	02:48:49	Kanpur NSH	Item Bagged
16/03/2023	02:18:46	Kanpur NSH	Item Received
16/03/2023	20:35:51	Kanpur RMS PQS Counter	Item Booked
15/03/2023	14:02:13	Katikusuma BO	Item Delivery Confirmed
15/03/2023	09:28:12	Nakha SO	Dispatched to BO
15/03/2023	09:18:31	Nakha SO	Item Received
15/03/2023	05:28:20	MA Kheri RMS	Item Dispatched
15/03/2023	05:06:30	MA Kheri RMS	Item Received
15/03/2023	04:44:39	Kheri JCH	Item Dispatched
15/03/2023	04:15:14	Kheri JCH	Item Bagged

Govt. of U.K.

Kanpur

Sub: Issue of NOC - Reg.

Dear Sir,

As observed, we are enclosing herewith the Revenue Map / Drawing for Ganga Housing Project No. 7/98, 7/99 Standing freehold Plot No. 11, 11A, 12 & 13, Scheme No. 24, Khasi Lines, Kanpur for Construction. It has been cleared by the Kanpur Dev. Authority, Kanpur to collect the NOC from your Department ~~to~~ <sup>to</sup> enable them to pass the drawing of our site (Paloma Realty Ltd) accordingly. It is requested to kindly arrange to issue the NOC accordingly. (Aarezi No. 206)

Thanking you,

Yours faithfully

~~for~~ <sup>for</sup> ~~the~~ <sup>the</sup> ~~reg.~~ <sup>reg.</sup> ~~of~~ <sup>of</sup>

Mr. Mahesh Chandra Jain

Partner M/s Paloma Realty Ltd

60/52, Nagginganj, Kanpur-208001

Mobile - 9839030535

Encl: as above

श्रीमान् नक्शा अधीक्षक  
नक्शा विभाग  
नगर निगम, जोन-4,  
मोतीझील, कानपुर

महोदय,

प्रार्थी द्वारा मेसर्स पलोमा रियल्टी एलएलपी में निर्माण की प्रगति एवम  
यूज ग्रुप हाउसिंग के लिए परिसर नम्बर 7/98 एवम 7/99 स्टैंडिंग  
फी-होल्ड प्लॉट संख्या 11, 11ए, 12 व 13 योजना संख्या 3ए, खलासी  
लाईन, कानपुर में निर्माण हेतु कानपुर विकास प्राधिकरण में नक्शा दाखिल  
किया गया है, जिसके लिए सिचाई विभाग, पर्यावरण विभाग एवम भारतीय  
पुरातत्व विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) प्राप्त करने के लिए नगर  
निगम से सजरा/नक्शा माँगा गया है।

आपसे अनुरोध है कि कृपया सम्बन्धित संलग्न साईट के मानचित्र के  
दृष्टिगत सजरा/नक्शा जारी करने का कष्ट करें ताकि सम्बन्धित विभागों  
प्रस्तुत कर अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) प्राप्त कर सकें। आपकी महान दया  
होगी।

सादर निवेदित।

प्रार्थी

महेशचन्द्र जैन

(महेश चन्द्र जैन)

पार्टनर मेसर्स पलोमा रियल्टी एलएलपी,  
60/52, नयागंज, कानपुर-208001.  
मो0-9839030535

महोदय,

प्रार्थी द्वारा मेसर्स पलोमा रियल्टी एलएलपी में निर्माण की प्रगति एवम युज ग्रुप हाउसिंग के लिए परिसर नम्बर 7/98 एवम 7/99 स्टैन्डिंग फ्री-होल्ड प्लॉट संख्या 11, 11ए, 12 व 13 योजना संख्या 3ए, खलासी लाईन, कानपुर में निर्माण हेतु कानपुर विकास प्राधिकरण में नक्शा दाखिल किया गया है, जिसके लिए प्राधिकरण द्वारा आपके विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) (पत्र संलग्न) माँगी गयी है।

आपसे अनुरोध है कि कृपया सम्बन्धित संलग्न साईट के मानचित्र के दृष्टिगत अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने का कष्ट करें ताकि अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) कानपुर विकास प्राधिकरण के कार्यालय में उपलब्ध करायी जा सके एवम प्रार्थी प्राधिकरण से स्वीकृत नक्शा प्राप्त कर, निर्माण कार्य प्रारम्भ कर सकें।

सादर निवेदित।

प्रार्थी

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार

महेश चन्द्र जैन

(महेश चन्द्र जैन)

पार्टनर मेसर्स पलोमा रियल्टी एलएलपी,  
60/52, नयागंज, कानपुर-208001.  
मो0-9839030535



महोदय,

प्रार्थी द्वारा मेसर्स पलोमा रियल्टी एलएलपी में निर्माण की प्रगति एवम यूज ग्रुप हाउसिंग के लिए परिसर नम्बर 7/98 एवम 7/99 स्टैन्डिंग फ्री-होल्ड प्लॉट संख्या 11, 11ए, 12 व 13 योजना संख्या 3ए, खलासी लाईन, कानपुर में निर्माण हेतु कानपुर विकास प्राधिकरण में नक्शा दाखिल किया गया है, जिसके लिए प्राधिकरण द्वारा आपके विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) (पत्र संलग्न) माँगी गयी है।

आपसे अनुरोध है कि कृपया सम्बन्धित संलग्न साईट के मानचित्र के दृष्टिगत अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने का कष्ट करें ताकि अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) कानपुर विकास प्राधिकरण के कार्यालय में उपलब्ध करायी जा सके एवम प्रार्थी प्राधिकरण से स्वीकृत नक्शा प्राप्त कर, निर्माण कार्य प्रारम्भ कर सकें।

सादर निवेदित।

प्रार्थी

संलग्नक:- छपरोक्तानुसार

(महेश चन्द्र जैन)  
पार्टनर मेसर्स पलोमा रियल्टी एलएलपी,  
60/52, नयागंज, कानपुर-208001.  
मो0-9839030535

प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड,  
पर्यावरण विभाग, सद्भावना नगर,  
कानपुर।

महोदय,

प्रार्थी द्वारा मेसर्स पलोमा रियल्टी एलएलपी में निर्माण की प्रगति एवम यूज ग्रुप हाउसिंग के लिए परिसर नम्बर 7/98 एवम 7/99 स्टैन्डिंग फ्री-होल्ड प्लॉट संख्या 11, 11ए, 12 व 13 योजना संख्या 3ए, खलासी लाईन, कानपुर में निर्माण हेतु कानपुर विकास प्राधिकरण में नक्शा दाखिल किया गया है, जिसके लिए प्राधिकरण द्वारा आपके विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) (पत्र संलग्न) माँगी गयी है।

आपसे अनुरोध है कि कृपया सम्बन्धित संलग्न साइट के मानचित्र के दृष्टिगत अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने का कष्ट करें ताकि अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) कानपुर विकास प्राधिकरण के कार्यालय में उपलब्ध करायी जा सके एवम प्रार्थी प्राधिकरण से स्वीकृत नक्शा प्राप्त कर, निर्माण कार्य प्रारम्भ करा सके।

सादर निवेदित।

प्रार्थी

(महेश चन्द्र जैन)  
पार्टनर मेसर्स पलोमा रियल्टी एलएलपी,  
60/52, नयागंज, कानपुर-208001.  
मो0-9839030535



**Deputy Commissioner**  
**District Industries Promotion &**  
**Entrepreneurship Development Centre**

## Investors Summit Kanpur Nagar

Venue- I.I.A. Bhawan Udyog Kunj Panki Kanpur.

Date- 17-01-2023

### Filled Investment Intent Form

Intent ID	Submission Date	Sector

### A. Company Profile

Basic Information		
Full Name	Sri Mahesh Chandra Jain	Designation Director
Company/Industry/ Organisation Name	Paloma Realty LLP	Email ID amjaisia@palomarealty.com
Mobile Number	9839030535 9839603535	Company Type Medium
Company Website		
Company Address		
Company Address (Line1)	60/52, Nagaganj, Kanpur-208001	
Company Address (Line1)		

## B. Project Information

Project Proposal			
Project Name	Paloma Realty LLP	Project Details	Group Housing
Detailed Project Report		Sector	
Investment Proposed (in Crore INR)	500 Crores	Proposed Employment	
Project Location (Preference 1)	Kanpur Nagar	Project Location (Preference 2)	
Project Location (Preference 3)		Proposed Date for Project Commencement	Feb, 2023
Proposed Date to Start Commercial Operations	Feb, 2023	Name of Witness	R.K. Sharma
Mobile Number	8174043419		
Signature of Investor	Mahesh Chandra Jain	Signature of Witness	R.K.

**विषय:-** कानपुर मेट्रो रेल के संरक्षण के सापेक्ष दोनों ओर 'ट्रान्जिट ओरिएन्टेड डेवलपमेन्ट' (टीओडी) जोन के महायोजना-2031 (प्रारूप) पर चिन्हांकन के सम्बन्ध में।

महोदय,

वृषभ कानपुर मेट्रो रेल के संरक्षण के सापेक्ष दोनों ओर 'ट्रान्जिट ओरिएन्टेड डेवलपमेन्ट' (टीओडी) जोन के महायोजना-2031 (प्रारूप) पर चिन्हांकन के सम्बन्ध में दिनांक-11.10.2022 को आहूत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एवं सत्रक में सासन द्वारा निर्गत पत्र संख्या-2622/आठ-3-22-198 दिविधि/2014 दिनांक-12.10.2022 के माध्यम से दिये गये निर्देशानुपालन में नगर नियोजकों की आख्या के अनुसार अवगत कराना है कि निर्माणधीन कानपुर मेट्रो रेल के संरक्षण के सापेक्ष दोनों ओर 'ट्रान्जिट ओरिएन्टेड डेवलपमेन्ट' (टीओडी) जोन के चिन्हांकन का प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड की 131वीं बोर्ड बैठक दिनांक-10.11.2020 के आईएम संख्या-131/अनु/01 पर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। बोर्ड के निर्णयानुपालन में गठित समिति द्वारा कानपुर महायोजना-2021 के मानचित्र पर चिन्हित 'ट्रान्जिट ओरिएन्टेड डेवलपमेन्ट' (टीओडी) जोन का परीक्षण किया गया। वर्तमान में कानपुर नगर के सार्वजनिक मेट्रो रेल परियोजना के निम्नानुसार दो कोरीडोर स्वीकृत हैं:-

- आईओडी से मोतीहील, कूलबाग चौराहे से कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन होते हुए नौबस्ता तक।
  - बुन्देलखर एग्रीकल्चर युनिवर्सिटी (सीएचएचएच) से विजय नगर चौराहा आस्टडी नौक होते हुए बर्ना-8 सुक।
- ट्रान्जिट ओरिएन्टेड डेवलपमेन्ट' (टीओडी) जोन को स्थलीय स्थिति के अनुसार दर्जित स्टेशन एवं इण्टरमीडिएट स्टेशनों पर टीओडी जोन की के आधार पर चिन्हित किया गया है। नीति के अनुसार दर्जित स्टेशन एवं इण्टरमीडिएट स्टेशनों पर टीओडी जोन की चौड़ाई स्थलीय स्थिति के अनुसार अपेक्षकृत 500 मी० से अधिक रखी गई है। क्योंकि स्टेशनों के अरस-मास का काफी बड़ा क्षेत्र मेट्रो रेल कोरीडोर के लाभ से प्रभावित/आच्छादित होता है। मेट्रो रेल लाईन कोरीडोर के सापेक्ष 500 मी० चौड़ा प्रभावित क्षेत्र प्रदर्शित किये जाने का प्रयत्न किया गया है, परन्तु प्रभावित क्षेत्र की सीमा को नीतिक शलण्ड्रीज तथा शलक अदि के आधार पर चिन्हित किया गया है। उक्त परियोजना से प्रभावित क्षेत्र को 'ट्रान्जिट ओरिएन्टेड डेवलपमेन्ट' (टीओडी) जोन के रूप में कानपुर महायोजना-2021 के मानचित्र पर चिन्हांकित किया गया है।

उक्त प्रकरण में गठित समिति की 'ट्रान्जिट ओरिएन्टेड डेवलपमेन्ट' (टीओडी) जोन के चिन्हांकन के सम्बन्ध में की गई संस्तुति को प्राधिकरण बोर्ड की 197वीं बोर्ड बैठक दिनांक-26.03.2021 में बोर्ड के सगल अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया था, जिसे बोर्ड द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है।

सर्वसाधारण को 'ट्रान्जिट ओरिएन्टेड डेवलपमेन्ट' (टीओडी) जोन के चिन्हांकन का अवलोकन करावे जाने हेतु दैनिक समाचार पत्र अमर सभारता एवं हिन्दुस्तान के दिनांक-08.04.2021 के संस्करणों में 'सार्वजनिक सूचना' प्रकाशित करके उक्त का प्रचार-प्रसार किया गया था, ताकि अधिक से अधिक सू-स्थगियों द्वारा उक्त नीति का लाभ प्राप्त किया जा सके। उक्त के सम्बन्ध में शारन को इस कार्यालय के पत्र संख्या-डी/30/उपा०/नॉन०/काठवि०प्रा०/2021-22 दिनांक-08.04.2021 (प्रति संलग्न) के माध्यम से पूर्व में ही अवगत कराया जा चुका है।

टीओडी जोन के जोनल डेवलपमेन्ट प्लान तैयार किये जाने के लिए यू०पी०एम०आर०सी० को अधिकृत किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड की 135वीं बोर्ड बैठक दिनांक-30.09.2022 में प्रस्तुत किया जा चुका है। कानपुर मेट्रो रेल के संरक्षण के सापेक्ष दोनों ओर 'ट्रान्जिट ओरिएन्टेड डेवलपमेन्ट' (टीओडी) जोन के महायोजना-2031 (प्रारूप) पर चिन्हांकन सम्बन्धी मानचित्र की प्रति आगके ऑफिशियल ई-मेल आईडी० पर अपलोड की गयी है।

कृपया तत्तनुसार अवगत होने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय


(समर्थन देय)  
सचिव

पृष्ठांकन:-डी / / सखिब / नॉन० / काठवि०प्रा० / 2022-23 दिनांक:-  
प्रतिलिपि:-

प्रबन्ध निदेशक, स०प्र० मेट्रो रेल कार्पोरेशन, लखनऊ को टीओडी० जोन का चिन्हांकन सम्बन्धी मानचित्र की प्रति उनकी ई-मेल-nayabnagar@gmail.com पर प्रेषित।

सचिव

**உள்ளுயிர் உயிர்ப்போக்குகள்**

[illegible]

1. **Introduction**

# Nivash Mitra

Single Window Portal - Govt of Uttar Pradesh  
Housing Department - Online Building Approval System

My Rev

Approval Reported



Drawing/Policy/Document/Plan/Spec/Detail drawing etc

Documents Drawing Fees Checklist



Submissions

Time Taken: 0 Days 0 Hours 0 Minutes

Hide



Submission12	Time Taken: 0 Days 0 Hours 0 Minutes	Show
Submission12	Time Taken: 0 Days 0 Hours 0 Minutes	Show
Submission11	Time Taken: 0 Days 0 Hours 0 Minutes	Show
Submission10	Time Taken: 0 Days 0 Hours 0 Minutes	Show
Submission9	Time Taken: 0 Days 0 Hours 0 Minutes	Show
Submission8	Time Taken: 0 Days 0 Hours 0 Minutes	Show
Submission7	Time Taken: 0 Days 0 Hours 0 Minutes	Show
Submission6	Time Taken: 0 Days 0 Hours 0 Minutes	Show
Submission5	Time Taken: 0 Days 0 Hours 0 Minutes	Show
Submission4	Time Taken: 0 Days 0 Hours 0 Minutes	Show
Submission3	Time Taken: 0 Days 0 Hours 0 Minutes	Show
Submission2	Time Taken: 0 Days 0 Hours 0 Minutes	Show
Submission1	Time Taken: 0 Days 0 Hours 0 Minutes	Show



पत्रांक:- / द्विमसिका/

कानपुर, दिनांक- /01/2023

विषय:- अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत के सम्बन्ध में।

अधिकाधी अभियन्ता, कानपुर प्रखण्ड निचली गंगा नहर, कानपुर।

उपरोक्त विषयक श्री महेन्द्र चन्द्र जैन, पार्टनर मैसर्स पलोमा रियल्टी एलएलपी, 60/52, गंगागंज कानपुर-208001 के पत्र दिनांक 08.09.2022 जो इस कार्यालय को हाथरी संख्या-182, दिनांक 06.01.2023 के माध्यम से प्राप्त हुआ है, जिसके द्वारा अद्यतन कराया गया है कि मैसर्स पलोमा रियल्टी एलएलपी में निर्माण की प्रगति एवम यूज गुप हाउसिंग के लिये परिसर नम्बर 7/98 एवं 7/99 स्टैडिंग गि-होल्ड प्लॉट संख्या 11, 11ए, 12 व 13 योजना संख्या 3ए, खलासी लाईन, कानपुर में निर्माण हेतु कानपुर विकास प्राधिकरण में नक्शा दाखिल किया गया है, जिसके लिये प्राधिकरण द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र मांगा गया है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि विषयगत प्रकरण के सम्बन्ध में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुये प्रकरण निस्तारित करने का कष्ट करें।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार।

अधीक्षण अभियन्ता  
द्वितीय मण्डल सिंचाई कार्य,  
कानपुर।

पत्रांक:- 182/द्विमसिका/तदिनांक 06/01/2023

प्रतिलिपि श्री महेन्द्र चन्द्र जैन, पार्टनर मैसर्स पलोमा रियल्टी एलएलपी, 60/52, गंगागंज, कानपुर-208001 को उपरोक्त के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित है।

अधीक्षण अभियन्ता  
द्वितीय मण्डल सिंचाई कार्य,  
कानपुर।